रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 1972/अग्रहायण 23, 1894

No. 518] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 1972/AGRAHAYANA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th December 1972

S.O. 746(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development S.O. 431(E)/18A/IDRA/72, dated the 16th June, 1972, the management of the industrial undertaking known as M/s. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur (Spinning Unit) (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years up to and inclusive of the 15th June, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the schedule industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.3/15/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1972

का० आ० 746(अ)/18 च ख/आई०डी०आर०ए०/72.—यत: भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश का० आ० 431 (ई) 18ग/आई० डी० आर० ए०/72, दिनांक 16 जून, 1972 द्वारा मैसर्स एसोसियेटेड एंडस्ट्रीज (आसाम) लिमिटेड, चन्द्रपुर (स्पिनिंग यूनिट) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1965 का 65) की धारा 18क के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक और जिसम 15–6–1977 भी सम्मिलित है ग्रहण कर लिया गया है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में जनसाधारण के हित में अनुसूचित उद्योग, अर्थात्, सूती वस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिणाम में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा च, ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्व से सम्बन्धित से भिन्न) सभी संविदाओं, संपत्ती के हस्तान्तरण-पत्रों, करारो, व्यवस्थापत्रों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगें।

[सं० फा० 3/15/72–सी यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972